

# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर



क्रमांक-:प.1(1)कार्मिक/सीधी भर्ती/2024/1331

दिनांक :-28.08.2024

## विज्ञप्ति

राजस्थान आवासन मण्डल की सीधी भर्ती-2023 हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक 795 दिनांक 12.07.2023 के क्रम में आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा उपरान्त सी-डेक एजेन्सी द्वारा जारी की गई विचारण सूची का प्रकाशन वेबसाईट rhbexam.in पर दिनांक 13.08.2024 को कर दिया गया है। जिसे अभ्यर्थी उक्त वेबसाईट पर देख सकते हैं।

विचारण सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को दिनांक 21 एवं 22 अगस्त 2024 को वर्गवार दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जाकर दिनांक 21.08.2024 को निर्धारित कार्यक्रम अनुसार दस्तावेज सत्यापन किया गया था परन्तु माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा याचिका संख्या एस.बी.सी. रिट संख्या 13891/2024 सुरेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में जारी स्थगन आदेश दिनांक 21.08.2024 के क्रम में दिनांक 22.08.2024 का दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था जो अब दिनांक 05.09.2024 को सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-8, अरावली मार्ग, मानसरोवर, जयपुर में पुनः निर्धारित किया गया है। जिसमें उक्त वेबसाईट पर उपलब्ध विस्तृत कार्यक्रम अनुसार संबंधित अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करे।

दिनांक 21.08.2024 को भारत बन्द के कारण जो अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाये थे, उन्हें दिनांक 06.09.2024 को उपरोक्त निर्धारित स्थान पर उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन हेतु अन्तिम अवसर दिया जाता है। जिसमें दिनांक 05.09.2024 को अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित अभ्यर्थी भी शामिल हो सकेंगे।

उपरोक्त तिथियों पर अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर माना जावेगा।

(डॉ. अनिल कुमार)  
सचिव

# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

:: सीधी भर्ती हेतु दिनांक 13.08.2024 को जारी विचारण सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश ::

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सीधी भर्ती-2023 के अन्तर्गत विभिन्न पदों के लिए आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा के उपरान्त विचारण सूची के अभ्यर्थियों के उनके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर उनके द्वारा आवेदित श्रेणी में पात्रता के विनिश्चय हेतु पदवार अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया गया है। इस सूची में नाम शामिल होने मात्र से कोई अभ्यर्थी चयन/नियुक्ति का अधिकारी नहीं होगा। तत्समय राज्य सरकार के प्रभावी नियम एवं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम 2010 तथा मण्डल के दिशा-निर्देशों के अनुसार नियुक्ति के योग्य पाए जाने पर ही अभ्यर्थी के नाम पर चयन हेतु विचार किया जायेगा।

अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन संबंधित कार्य सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-8, अरावली मार्ग, मानसरोवर, जयपुर में आयोजित किया जायेगा।

किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पद पर सूचीबद्ध होने पर उसकी प्रार्थना पर उसका एक ही दिन में दस्तावेज सत्यापन करवाया जा सकेगा। यदि अभ्यर्थी एक पद हेतु पात्रता जाँच कराता है व अन्य पद/पदों हेतु पात्रता जाँच नहीं करवाता है तो अन्तिम चयन के समय केवल उस पद हेतु विचार किया जायेगा जिस पद हेतु पात्रता जाँच करवायी गई है।

दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख किए गए दस्तावेजों की जाँच के लिए सलग्न चैक लिस्ट के अनुसार निर्धारित क्रमानुसार व्यवस्थित कर समस्त मूल दस्तावेज सत्यापन दल के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही दस्तावेजों का एक स्व-प्रमाणित छायाप्रति सैट भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। मूल दस्तावेजों के अभाव में किसी अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा। साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।

दिनांक 21.08.2024 को आयोजित दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम में जिन अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन किया जा चुका है, उन्हें दिनांक 05.09.2024 व 06.09.2024 के कार्यक्रम में पुनः उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

निर्धारित दिनांक व स्थान पर दस्तावेज सत्यापन हेतु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया से बाहर माना जाकर उसकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जायेगा।



यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु अपूर्ण/अधुरे दस्तावेजों सहित निर्धारित दिनांक को उपस्थित होता है तो उसे दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।

अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिये किसी भी प्रकार का किराया/यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

निम्न पदों के लिये पात्रता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु निम्नानुसार कार्यक्रम पुनः निर्धारित किया जाता है :-

क्र.स.	दिनांक	समय	पदनाम
1	05.09.2024	09:30 बजे से 01:30 बजे तक	वरिष्ठ प्रारूपकार विधि सहायक (कनिष्ठ विधि अधिकारी) कनिष्ठ लेखाकार
		02:00 बजे से 06 बजे तक	कनिष्ठ सहायक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
2.	06.09.2024	09:30 बजे से 01:30 बजे तक	दिनांक 21.08.2024 व 05.09.2024 को अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित अभ्यर्थी।

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे संलग्न चैक लिस्ट के अनुसार अपने मूल एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति दस्तावेजों के साथ उपरोक्त स्थान पर सत्यापन कार्यक्रम में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- चैक लिस्ट।

(डॉ. अनिल कुमार)  
सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल सीधी भर्ती-2023

दस्तावेज सत्यापन

अभ्यर्थी की  
नवीनतम  
कलर फोटो

पदनाम.....

अभ्यर्थी का नाम		
अभ्यर्थी के रोल नम्बर		
पिता/पति का नाम		
माता का नाम		
गृह जिला		
जन्म तिथि		
लिंग		
अभ्यर्थी का आधार क्रमांक		
जमा आवेदन शुल्क राशि		
आवेदित वर्ग / श्रेणी	अनारक्षित <input type="checkbox"/> अनुसूचित जाति <input type="checkbox"/> अनुसूचित जनजाति <input type="checkbox"/> पिछडा वर्ग <input type="checkbox"/> अति पिछडा वर्ग <input type="checkbox"/> आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग <input type="checkbox"/> (जो श्रेणी हो टिक करें)	
आवेदित विशेष श्रेणी	विधवा <input type="checkbox"/> परित्यक्ता <input type="checkbox"/> उत्कृष्ट खिलाडी <input type="checkbox"/> भूतपूर्व सैनिक <input type="checkbox"/> दिव्यांग <input type="checkbox"/> (जो विशेष श्रेणी हो टिक करें)	
<b>कार्यालय उपयोग हेतु</b>		
आवेदित श्रेणी / विशेष श्रेणी	दस्तावेज सत्यापन के आधार पर श्रेणी / विशेष श्रेणी	टेबल इंचार्ज टिप्पणी

क्र. सं.	दस्तावेज / प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी के उपयोगार्थ		सत्यापन दल के उपयोगार्थ		
		संलग्नक संख्या	संलग्नक स्वप्रमाणित (हैं/नहीं)	मूल दस्तावेज से मिलान में सही पाया गया (हां/नहीं)	यदि नहीं तो मूल दस्तावेज व ऑनलाईन आवेदन में भरी गई सूचना में अन्तर होने तथा अन्य विवरण	लघु हस्ताक्षर
1	आधार कार्ड					
2	माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका / प्रमाण पत्र					
3	उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका / प्रमाण पत्र					
4	स्नातक / समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्षों की अंकतालिका / डिग्री					
5	संबंधित पद हेतु निर्धारित योग्यता का प्रमाण पत्र / डिग्री					
6	मूल निवास प्रमाण पत्र					



क्र. सं.	दस्तावेज / प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी के उपयोगार्थ		सत्यापन दल के उपयोगार्थ		
		संलग्नक संख्या	संलग्नक स्वप्रमाणित (हाँ / नहीं)	मूल दस्तावेज से मिलान में सही पाया गया (हाँ / नहीं)	यदि नहीं तो मूल दस्तावेज व ऑनलाईन आवेदन में भरी गई सूचना में अन्तर होने तथा अन्य विवरण	लघु हस्ताक्षर
7	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये जारी प्रमाण पत्र					
8	जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अति पिछड़ा वर्ग)					
9	जाति प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम तिमाही में वैध प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र यदि लागू हो।					
10	विधवा की स्थिति में स्वयं की घोषणा एवं पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, पति से लिंक दस्तावेज / साक्ष्य की प्रति व आवेदन दिनांक पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी स्वघोषणा।					

क्र. सं.	दस्तावेज/प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी के उपयोगार्थ		सत्यापन दल के उपयोगार्थ		
		संलग्नक संख्या	संलग्नक स्वप्रमाणित (हॉ/नहीं)	मूल दस्तावेज से मिलान में सही पाया गया (हां/नहीं)	यदि नहीं तो मूल दस्तावेज व ऑनलाईन आवेदन में भरी गई सूचना में अन्तर होने तथा अन्य विवरण	लघु हस्ताक्षर
11	विवाह विच्छेद/परित्यक्ता(तलाकशुदा) पर सक्षम स्तर से जारी विवाह विच्छेद की डिकी की प्रमाणित प्रति व आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी स्वघोषणा					
12	सन्तान संबंधी स्वघोषणा					
13	भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्ति/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र					
14	भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में स्व घोषणा					
15	उत्कृष्ट खिलाडी होने पर नियमानुसार सक्षम स्तर पर जारी खेल प्रमाण पत्र					

क्र. सं.	दस्तावेज / प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी के उपयोगार्थ		सत्यापन दल के उपयोगार्थ		
		संलग्नक संख्या	संलग्नक स्वप्रमाणित (हां/नहीं)	मूल दस्तावेज से मिलान में सही पाया गया (हां/नहीं)	यदि नहीं तो मूल दस्तावेज व ऑनलाईन आवेदन में भरी गई सूचना में अन्तर होने तथा अन्य विवरण	लघु हस्ताक्षर
16	दिव्यांग श्रेणी हेतु समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई निःशक्तता प्रमाण पत्र एवं राजस्थान दिव्यांगजन नियम- 2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र जो एक वर्ष से अधिक पुराना ना हो।					

**अभ्यर्थी के द्वारा स्व सत्यापन**

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति श्री .....उम्र.....जाति.....  
निवासी.....व्यवसाय.....

सत्यापन करता/करती हूँ कि उक्तानुसार प्रस्तुत समस्त दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य है। इसमें मैंने कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। उक्त तथ्यों में किसी प्रकार की भिन्नता के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी एवं विभाग नियमानुसार मेरे विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा।

- नोट :-
1. दस्तावेज सत्यापन के दौरान मोबाईल फोन लाना वर्जित हैं।
  2. समस्त दस्तावेज चैक लिस्ट के साथ संलग्न करें। जो दस्तावेज लागू नहीं है उसके आगे के स्तम्भ में लागू नहीं अंकित करें।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम :

पता:



## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: प.1(1)कार्मिक / 2024-25 / 1332

दिनांक:-28.08.2024

विषय:-सिविल रिट याचिका सं. 13891/24 सुरेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.24 की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सिविल रिट याचिका सं. 13891/24 सुरेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर पीठ, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.08.24 की पालना में निम्न अभ्यर्थी को प्रोविजनली दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित कार्यक्रमानुसार दिनांक 05.09.2024 को आमंत्रित किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम	पद (जिस हेतु परीक्षा दी गई)
1	सुरेश कुमार पुत्र भगवाना राम निवासी-देनोक सड़क, सियाको का ट्यूबवैल, हंसादेश, लोहावट, जिला-जोधपुर, राजस्थान-342302	कनिष्ठ लेखाकार

सचिव